

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान  
पीठासीन अधिकारी :- सुनिता यादव (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
161/2019	27.06.2019	03.01.2020

उत्पान

- 1 नरेश कुमार उम्र करीब 61 साल पुत्र श्री सोहनलाल
- 2 रामसिंह उम्र करीब 73 साल पुत्र श्री सोहनलाल
- 3 सुमेर सिंह उम्र करीब 68 साल पुत्र सोहनलाल जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला-अलवर राज0।

—: वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब भूमिधारी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादी

दावा 88, 89 राज0 कास्त0 अधि0

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादीगण की ओर से श्री पूरण सिंह यादव एडवोकट की उपस्थिति एवं प्रतिवादी अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 03.01.2020 को श्रीमति सुनिता यादव, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है:-

“ न्यायालय दावा बाबत डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में स्थित हाल आराजी खंसरा नम्बर 05/1172 रकबा 0.87 है0 के हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम हो रहे 1/12 हिस्सा के अंकन को हजफ किया जाकर आराजी खंसरा नम्बर 05/1172 रकबा 0.87 है0 के 1/6 भाग का 1/2 हिस्से का वादी संख्या 01 नरेश कुमार को तथा वादी संख्या 02 रामसिंह एवं वादी संख्या 03 सुमेर सिंह का 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.01.2020 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

*03/01/2020*  
(सुनिता यादव)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
मुण्डावर (अलवर) राज0  
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर राज0

Scanned by CamScanner

